न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.

बईजलास पीठासीन अधिकारी हॅसमुख कुमार आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र सं. 108/2019

प्रार्थीगण — बनाम — अप्रार्थी

1– दिनेश उर्फ दुदाराम पुत्र श्री कालूजी — राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सिरोही
2– रमेश उर्फ जयन्तिलाल पुत्र श्री कालूजी
सभी आयु व्यस्क जाति कुम्हार नि.
रामपुरा तहसील सिरोही जिला सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री ऋषि माथुर
2– अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार,सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार ना.तह.सिरोही

रा.प्रा.पत्र अन्र्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड इन्द्राजात दुरूस्ती करने हेतु

निर्णय — दिनांक 24 –11–2020

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थनापत्र अन्र्तगत धारा 136 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दि 6–12–2019 को पेश किया जिसका प्रार्थनापत्र मे संक्षेप तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि प्रार्थीगण और उनके संयुक्त खातेदारान के कब्जे काश्त और खातेदारी हक अधिकार की कृषि भूमि ग्राम रामपुरा पटवार हल्का सिलदर तहसील सिरोही जिला सिरोही मे निम्नानुसार आई हुई जिसकी राजसव रेकर्ड जमाबंदी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 47 मे निम्न प्रकार से अंकित किये गये है :–

खाता संख्या :– 47 (ए)

क्र.सं.	खसरा नंबर	क्षेत्रफल
1	121	01.9900 हेक्टेयर
2	171	00.0100 हेक्टेयर
3	172	02.2700 हेक्टेयर
4	175	00.1600 हेक्टेयर
5	176	00.0700 हेक्टेयर
6	213	00.0300 हेक्टेयर
7	214	01.8100 हेक्टेयर
8	76	01.1700 हेक्टेयर

कुल खसरा 8 रकबा 07.5100 हेक्टेयर

(बी) खाता संख्या –53

क्र.सं.	खसरा संख्या	क्षेत्रफल
1	69	01.6800 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:52:57 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वर्णित कृषि भूमि के मूलखसरा पूर्व के पुराने और नये खसरा नंबरान के मिलान क्षैत्रफल की नकल प्रार्थना पत्र के संलग्न है। उक्त वर्णित कृषि भूमि की खातेदारी राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे पहले प्रार्थीगण के पिता कालुजी पुत्र जोधाजी और उनके संयुक्त खातेदारों के नाम से खातेदारी मे अंकित रही है जो संलग्न जमाबंदीयॉ संवत 2050–2053 से स्पष्ट है। प्रार्थीगण ,उनके भाई थानाराम और माता होली का पद संख्या 1(ए) मे वर्णित कृषि भूमि मे संयुक्त रूप से 1/4 एक चौथाई खातेदारी हक हिस्सा है और इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थीगण काश्त भी कर रहे है। उक्त कृषि भूमि मे 1/4 एक चौथाई हिस्से की खातेदारी पूर्व मे प्रार्थीगण के पिता कालूजी पुत्र जोधाजी कुम्हार के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे बतौर खातेदार दर्ज रही है कालुजी की मृत्यु के बाद

उनके 1/4 एक चौथाई हिस्से की खातेदारी उनके वारिसान मे पुत्रगण प्रार्थीगण ,थानाराम औ
पत्नि होली के नाम से खातेदारी मे अंकित हुई हे। इसी प्रकार से पद संख्या 1(बी) मे वर्णित कृ
भूमि मे प्रार्थी संख्या 1 एक का 1/672एक बटा छः सौ बहत्तर और प्रार्थी संख्या दो का 1/67
हिस्सा है। कालुजी के तीन पुत्र हुये है सबसे बडा पुत्र थानाराम ,मंझला पुत्र दिनेश और सबसे छो
पुत्र रमेश है। कालुजी की मृत्यु के बाद राजस्व रेकर्ड मे उनके स्थान पर बडे पुत्र थानाराम का ना
तो सही रूप से अंकित हो गया है लेकिन त्रुटिवश मंझले पुत्र (1) दिनेश पुत्र कालुजी के स्थान प
दुदाराम पुत्र कालुजी और (2) छोटे पुत्र रमेश पुत्र कालुजी के स्थानपर जयन्तिलाल पुत्र कालुज
अंकित हो गया है जबकि कालुजी के दोनो पुत्रों के असली नाम दिनेश और रमेश ही है। राजस
अधिकारियों को चाहिये था की उपरोक्त नामान्तकरण दर्जकरते समय कि कालुजी के दोनो पु
दिनेश और रमेश के नाम सही अंकित करते उक्त गलत अंकन होने से प्रार्थीगण को कई कार्यो
बाधा उत्पन्न हो रही है। राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी दिनेश पुत्र कालुजी के स्थान पर दुदारा
पुत्र कालुजी और छोटे पुत्र रमेश पुत्र कालुजी के स्थान पर जयन्तिलाल पुत्र कालुजी अंकित क
दिये जाने से प्रार्थीगण को कई समस्याओं का सामना करना पड रहा है जिसका शुद्विकरण करवा
जाना प्रार्थीगण के लिये अति आवश्यक होने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कारण पैदा होने
यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतःप्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थनाप
के पद संख्या 1(ए) और 1(बी) मे वर्णित कृषि भूमियों के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे प्रार्थीगण का ना
दुदाराम पुत्र कालुजी के स्थान पर दिनेश पुत्र कालुजी और छोटे पुत्र का नाम जयन्तिलाल पु
कालुजी केस्थान पर रमेश पुत्र कालुजी अंकित किये जाने ओर उकत अनुसार राजस्व रेकर्ड
संशोधन किये जाने का आदेश पारित करना फरमावें ।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न जमाबंदी संवत 2073 से 2076
खाता संख्या 47 व खाता संख्या 69 ,प्रार्थीगण के आधार ,प्रार्थीगण के टी.सी. ,प्रार्थीगण
लाईसेन्स ,प्रार्थीगण के पासपोर्ट, प्रार्थीगा के पैनकार्ड की सत्यापित प्रतियों का अवलोकन कर उ
पर मनन करने के पश्चात प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ सहमत होने
दिनांक 6–12–2019 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही को जवाब पेश कर
हेतु नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी का नोटिस तामिल होकर इस न्यायालय मे दिनां
20–1–2020 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये।

विचाराधीन प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 19–2–2020 व
अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) ने जवा
पेश किया जिसे शा.मि. किया गया ।

पैरोकार सरकार ने अपने जवाब मे कथन किया कि मौजा रामपुरा सिलदर व
जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 47मे दुदाराम पुत्र कालूजी 1/16 एवं जयन्तिला
पुत्र कालूजी 1/16 हि. शामलाती खाते मे दर्ज है। प्रार्थी द्वारा खाता संख्या 53 खसरा संख्या 6
रकबा 1.68 हेक्टेयर का उल्लेख दावे मे किया है परन्तु जमाबंदी प्रतिलिपि संलग्न नही है। अ
खाता संख्या 47 मे दुदाराम पुत्र कालूजी व जयन्तिलाल पुत्र कालूजी के सथान पर दिनेश पु
कालूजी व रमेश पुत्र कालूजी राजस्व रेकर्ड मे अंकन कराना चाहा है।इस हेतु आधार कार्ड ,टी.सी
स्कूल ,ड्राईविंग लाईसेन्स ,पैनकार्ड ,शपथपत्र प्रस्तुत किये है। खाता संख्या 47 मे संशोंधन कर
उचित है।

दिनांक 9–11–2020 को विचाराधीन प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट प
प्रार्थीगण व अप्रार्थी स्टेट पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिरोही) द्वारा अंतिम बहस करने
अंतिम बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा दौराने बहस मौजा रामपुरा पटवार हल्का सिलद
तहसील व जिला सिरोही की जमाबंदी संवत 2049 से 2052 खाता संख्या 43 व नामान्तकरण संख
107 की प्रमाणित प्रतियॉ पेश करने से शामिल मिसल किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:52:57 IST
Reason: SelfAttested

हमने विद्वान वकील ... मय संलग्न प्रार्थनापत्र व जवाब तथ
राजस्व रेकर्ड प्रतियों को भी गहनतापूर्वक अवलोकन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान
पत्रावली के संलग्न संलग्न जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के खाता संख्या 47 व खाता संख्या 6
,प्रार्थीगण के आधार ,प्रार्थीगण के टी.सी. ,प्रार्थीगण के लाईसेन्स ,प्रार्थीगण के पासपोर्ट, प्रार्थीगा
पैनकार्ड की सत्यापित प्रतियों तथा मौजा रामपुरा पटवार हल्का सिलदर तहसील व जिला सिरोह
की जमाबंदी संवत 2049 से 2052 खाता संख्या 43 व नामान्तकरण संख्या 107 की प्रमाणित प्रति
तथा कार्यालय ग्राम पंचायत सिलदर के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 7–3–2020 को
गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर भी गंभीरता से मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन
उपरान्त पत्रावली के संलग्न नामान्तकरण संख्या 107 के अनुसार कालिया के तीन पुत्र थानारा
,दुदाराम व जयन्तिलाल पि. कालिया अंकित है। सरपंच ग्राम पंचायत सिलदर के प्रमाण पत्र दिनां

7–3–2020 मे सरपंच ग्राम पंचायत सिलदर ने यह प्रमाणित किया है कि कालुजी पुत्र जोदाज कुम्हार निवासी रामपुरा (सिलदर) को व्यक्तिगत रूप से पहचानते है। कालूजी के 3 तीन पुत्र हुये सबसे बडा पुत्र थानाराम ,मंझला पुत्र दिनेश और सबसे छोटा पुत्र रमेश है। राजस्व रेकर्ड मे दिने पुत्र कालुजी के स्थान पर दुदाराम पुत्र कालुजी और छोटे पुत्र रमेश पुत्र कालुजी के स्थान प जयन्तिलाल पुत्र कालुजी त्रुटिवश अंकित हो गया है जबकि इनके वास्तविक नाम दिनेश और रमे ही है। पत्रावली के संलग्न गोमाराम देवासी व पोसाराम देवासी के शपथ पत्रों मे उक्त दोन व्यक्तियों ने भी अपने अपने शपथपत्रों मे दिनेश पुत्र कालुजी के स्थान दुदाराम पुत्र कालुजी औ छोटे पुत्र रमेश पुत्र कालुजी के स्थानपर जयन्तिलाल पुत्र कालुजी अंकित होगया है जबकि कालुज के दोनो ही पुत्रों के असली नाम दिनेश और रमेश है। पत्रावली के संलग्न आधार कार्ड मे प्रजापि रमेश पुत्र कालुजी ,स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट अहमदाबाद मे भी प्रजापति रमेश पुत्र कालुजी अंकि है। आयकर विभाग के पहचान कार्ड मे भी प्रजापती रमेश पुत्र कालुजी इसी तरह आधार कार्ड प्रजापति दिनेशभाई पुत्र कालुजी,प्रशान्त हाईस्कूल अहमदाबाद के टी.सी प्रमाण पत्र मे प्रजापि दिनेश पुत्र कालुजी व ड्राईविंग लाईसेन्स मे दिनेश प्रजापति पुत्र कालुजी ,तथा पेनकार्ड मे भी दिने कालुजी प्रजापति अंकित है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर यह सिद्व होता है कि प्रार्थीग दिनेश व रमेश कालुजी के पुत्र है। तथा नामान्तकरण दर्ज करते समय कालुजी के दोनो पुत्रों दिने व रमेश के नाम सही अंकित करते उक्त गलत अंकन हुआ है उपरोक्त प्रार्थीगण के नांम की त्रुि जो लिपिकिय त्रुटि की तारीफ मे आने से न्यायहित मे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है अन्यथ प्रार्थीगण को कई कार्यो मे बाधा उत्पन्न हो होगी तथा प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान व मानसिव तनाव भी होने की सभावना है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र अ.ध 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड दुरूस्ती करवाने का न्यायहित मे स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा भूमिधा (तहसीलदार सिरोही) को आदेश दिये जाते है कि मौजा रामपुरा पटवार हल्का सिलदर तहसी सिरोही जिला सिरोही के खाता नंबर 47 के खसरा नंबर 121,171,172,175,176,213,214,76 कु खसरा 8 रकबा 07.5100 हेक्टेयर तथा खाता संख्या 53 के खसरा नंबर 69 रकबा 01.6800 हेक्टेय की वर्तमान जमाबंदी मे प्रार्थीगण का नाम दुदाराम पुत्र कालुजी के स्थान पर सही नाम दिनेश पु कालुजी और जयन्तिलाल पुत्र कालुजी के स्थान पर सही नाम रमेश पुत्र कालुजी राजस्व रेकर्ड सशोधन कर जमाबंदी अपडेट करें।

(हॅसमुख कुमार)
लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ
सिरोही
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 24–11–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

न्यायालय लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर ★ सिरोही (राज.) ★
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:52:57 IST
Reason: SelfAttested